

आजाद सिपाही



झारखंड में 1932 का खतियान

पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर

■ आरक्षण सीमा को 77 प्रतिशत करने का विधेयक भी पास

■ पूरे झारखंड से मिलने लगा सीएम हेमंत सोरेन को बधाइयों का तांता

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड में अब 1932 के खतियान वाले स्थानीय होंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी करने की भी मंजूरी दी गयी। अब आरक्षण की सीमा 77 फीसदी हो जायेगी। इस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अव्यक्तिमति में खारखंड के हुई कैबिनेट को बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। जिनमें आंगनबाड़ी सेविका-साहियों के मानदेय, स्कूल में बच्चों को पांच दिन अंडा देने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट के बाद पूरे झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन को बधाइयों का तांता लगा हुआ है।

कैसे होगी स्थानीयता की पहचान

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने झारखंड के स्थानीय निवासियों की परिभाषा एवं पहचान हेतु 'झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणाम, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को

- केंद्र सरकार द्वारा नौवी सूची में शामिल करने का किया जायेगा अनुयोध

ऐसे स्थानीय व्यक्तियों के परिभाषित करने के विधेयक 2022' के गठन को मंजूरी दी है। डाडेल ने कहा कि सरल भाषा में इसे हाजा जा सकता है कि कैबिनेट ने 1932 खतियान लागू करने पर निर्णय लिया है। इसके तहत वैष्ण व्यक्ति जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 के खतियान में दर्ज है, उन्हें झारखंड का स्थानीय निवासी माना जायेगा। यदि किसी का खतियान पठनीय नहीं है या उसका नाम खतियान में दर्ज नहीं है तो तो उस व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जायेगी। इस विधेयक को विधानसभा से पारित होने के बाद केंद्र के पास 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जायेगा।

ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण

हेमंत सरकार ने एक और



अहम फैसला लेते हुए 27 दी है। सचिव वंदना डाडेल ने

(अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम 2001 में

संशोधन 2022' को मंजूरी दी। झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा।

किसानों को राहत देने का फैसला

रांची। हेमंत कैबिनेट में सुखाद को देखते हुए किसानों को राहत देने का फैसला लिया गया। किसानों को राही में 90% अवृद्धान पर बीज दिया जायेगा। वर्तमान बीज नीति को सरकार ने शिथिल किया है। दृष्टि विभाग की ओर से किसानों को बीज देने के लिए नीति बाबी गयी है। नीति में प्रावधान है कि परस्त फीसदी अवृद्धान पर किसानों को बीज दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया है। इस बार राही के मौसम में किसानों को 90 प्रतिशत अवृद्धान पर बीज मिलेगा।



FLORENCE
Group of Institutions
(A Unit of: Haji Abdur Razzaque Educational Society)
Irba, Ranchi-835219 (Jharkhand)



सरकार की सांसों की आहट कोने-कोने में: सीएम



कैबिनेट के रूप में पुनः इसे लोगों ने सराहा है। आज क्वाक्वा वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 1932 का खतियान लागू हो। ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण मिले। इस ऐतिहासिक फैसले

लिये चाहे वह 1932 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 1932 का खतियान लागू हो। ओबीसी को 27 प्रतिशत की आहट इस राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। बहुत सारे संवर्गों को कुछ मार्ग बाकी हैं, लोगों वह किसी को नहीं पता था, लेकिन क्षणभर में इन्हें सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की सांसों

की भी आहट इस राज्य के हर

कोने तक पहुंच रही है। बहुत

सारे संवर्गों को कुछ मार्ग बाकी हैं, उन सभी लोगों से भी हम कहना चाहेंगे आप वह चिंता मत करें, कियें। इस सरकार को काँइ हिला नहीं सकता कोई डिगा नहीं करें।

हेमंत के फैसले से जश्न में झूबे झारखंड के लोग



मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ।

लोगों की इस खुशी में शामिल हुए।

आतिशबाजी भी हुई। मुख्यमंत्री भवन के बाहर

पूरा कर प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। कैबिनेट के फैसले के बाद भारी संख्या में लोग प्रोजेक्ट बनाने में जुट गये। अंगनबाड़ी सेविका-सहियों समेत अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का प्रोजेक्ट भवन के गेट पर ही स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री जगरनाथ महोन, परिवहन मंत्री चंपर्स रामेन समेत अन्य 1932 खतियान से संबंधित बैनर लेपेटे नजर आये। भारी संख्या में लोग बहु जुटे और सभी का अभिनंदन किया। प्रोजेक्ट भवन के गेट के बाहर आतिशबाजी की गयी।

इस प्रस्ताव में एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अतंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अर्थिक रूप से कमजोर सामाजिक वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामाजिक वर्ग के लिए 23 फीसदी सॉटें वर्गी हैं। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास 9वीं सूची में शामिल करने के लिए भेजा जायेगा।

वर्षों 1932 के खतियान की थी मांग

प्राप्त जानकारी के मुताबिक आजादी के पश्चात अंतिम सर्वे सेटलमेंट केवल सिंहभूम इलाके में हुआ था। ये सर्वे 1960 से 1964 के बीच हुआ था। मौजूदा झारखंड प्रदेश के अन्य इलाकों में 1932 के पहले ही अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ था। बता दें कि साल 2002 में तात्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता के परिभाषित करना का प्रयास किया था, लेकिन यह हो नहीं पाया था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने कार्यकाल के दौरान स्थानीय नीति परिभाषित किया था। रघुवर सरकार ने 1985 से प्रदेश में रहने वाले लोगों को स्थानीय माना था।

KUNDAN MARBLE & SANITATIONS



HOUSE OF :
Marbles, Tiles Granites, Kota Cuddappa & Sanitary Ware

Contact for 4.5", 6" Boring

KUNDAN MARBLE & SANITATIONS
Near Holiday Home, Kanke Road, Ranchi-834008
E-mail : kundanmarble@gmail.com
Contact : 9334471800, 9472760801, 9334671802



आजाद सिपाही संवाददाता

आजाद सिपाही संवाददाता

रंची। झारखण्ड में 1932 खतियान के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी। इसे लेकर समय-समय पर प्रदर्शन भी होता रहा है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है 1932 का खतियान। इसे लेकर सियासत भी होती रही है। झारखण्ड में भाषा विवाद से शुरू हुआ अंदेलन 1932 के खतियान को लागू करने तक पहुंच गया था। इसके अलावा एक बार फिर स्थानीयता, भाषा का विवाद और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज होने लगी थी। दरअसल झारखण्ड राज्य की जब से स्थापना हुई, तभी से 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा है। द्याग्रखण्ड गढ़न के बात में खतियान का मतलब यह है कि 1932 के वंशज ही झारखण्ड के असल निवासी माने जायेंगे। 1932 के सर्वे में जिनका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है, उनके नाम का ही खतियान आज भी है। उसी को लागू करने की मांग हो रही थी। 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था, वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलायेंगे। उस समय जिनके पास जमीन थी, उसकी हजारों बार खरीद-बिक्री हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर 1932 में अगर रंची जिले में 10 हजार रैयत थे, तो आज उनकी संख्या एक लाख पार कर गयी। अब तो सरकार के पास भी यह आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो जमीन शीर्षक प्राप्त करने वाली थी वह किसी आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहां के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या सर्विधान है।

कोल्हान की भूमि आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गयी

देश में 1831 से 1833 के बीच क्या स्थिति रही, उसके बारे में भी जानकारी जरूरी है। दरअसल उस वक्त कोल विद्रोह के बाद विल्कंसन रूल आया। कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गयी। वहीं यह व्यवस्था निर्धारित की गयी की कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सप्पर्टिंग्सेंट

1932 को समझने के लिए इतिहास जानना जरूरी

1913 से 1918 के बीच हुआ सर्वे

कोल्हान क्षेत्र के लिए 1913 से 1918 के बीच का समय काफी महत्वपूर्ण रहा। इसी दौरान लैंड सर्वें का कार्य किया गया और इसके बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान मिला। आदिवासियों का जंगल पर हक इसी सर्वें के बाद दिया गया। 1947 में देश आजाद हुआ। 1950 में बिहार लैंड रिफर्म एक्ट आया। इसको लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। इसी साल 1954 में एक बार इसमें संशोधन किया और मुंडारी खृंटकट्टीदारी को इसमें छूट मिल गयी।

कोल्हान की भूमि आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गयी

देश में 1831 से 1833 के बीच क्या स्थिति रही, उसके बारे में भी जानकारी जरूरी है। दरअसल उस वक्त कोलंविल के बाद विलिंक्सन रूल आया। कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गयी। वहाँ यह व्यवस्था निर्धारित की गयी की कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुपरिंटेंडेंट करेंगे।

सत्याग्रह 1932

जगह पर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनायी, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो सभी सरकारें आयीं, सभी ने इस मुद्दे को ठंडे बरस्ते में ही छोड़ दिया। साल 2014 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस मामले पर बड़ा फैसला लिया। हालांकि तब भी धरना-प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने इस मामले को निपटा लिया। इस दौरान रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी, जिसमें 1985 के समय से राज्य में रहनेवाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। रघुवर दास ने इस मामले पर फैसला ले लिया था, लेकिन झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की राजनीति अलग है। वह शुरू से ही झारखण्ड में 1932 के खतियान की समर्थक रही है। उसने गत विधानसभा चुनाव में यह वादा किया था कि अगर उसकी सरकार आयी, तो झारखण्ड में 1932 का खतियान लागू होगा। इसकी

रहे। झारखण्ड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने साल 2020 में ही बयान दिया था कि झारखण्ड की स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार के 1985 स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है।

रांची-धनबाद के 75 फीसदी
लोग हो जायेंगे बाहरी

जानकार कहते हैं कि 1932 का खतियान लागू होते ही रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहनेवाले 75 फीसदी लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी नहीं कर पायेंगे और वे बाहरी हो जायेंगे। इन शहरों में लोग रोजी-रोजगार के लिए आये और बसते चले गये। उस समय धनबाद का तो अस्तित्व ही नहीं था। 1971 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले यहां खदानों के निजी मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ही यूपी और बिहार से खदानों में काम करने के लिए लोगों को बुलाया, जो यहां बसते चले गये। फिर 1952 में सिंदरी उवरक कारखाना शुरू होने के बाद यहां काम करने के लिए बाहरी लोग आये और यहीं बस गये। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है।

वो 21 जुलाई 1993 का दिन था, ये 13 सितंबर 2022

- उस वक्त भी सत्ता के खिलाफ जनता ने ली थी अंगड़ाई, 29 साल बाद पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा इतिहास
 - उस वक्त ज्योति बसु की सरकार थी, आज ममता बनर्जी हैं सरकार ■ उस दिन सत्ता के खिलाफ ममता थीं, आज ममता के खिलाफ सुवेंदु
 - उस वक्त तख्त पलटा था, इस बार क्या कुछ होनेवाला है ■ ये कुछ और नहीं, बंगाल में बदलाव का संकेत है



राकेश सिंह

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में 13 सितंबर 2022 की तारीख को एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज किया जायेगा, जब इसने करीब 30 साल पुराने अध्याय को दोहराया। वह 21 जुलाई 1993 का दिन था, जब ममता बनर्जी ने राइटर्स पर कब्जे का अभियान शुरू किया था और पुलिस फायरिंग में 11 लोग मारे गये थे। ममता बनर्जी खुद इस्पालानेड की सड़कों पर लहूलहान होकर छटपटा रही थीं। अमानातल में उनके पिया में 13 बांके लगे थे। उन बांग्लाल में ज्ञानेनि

अस्पताल ने उनको सिर ने 13 टॉपु लगा दी। तब बगाल ने उधात पस्तु पर्ज अनुपाड़ी ने पानपायथा दो शासन था और उनेक खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी कर रही थीं। कहते हैं, उस समय शासन के सम्माट ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि उसका सूरज कभी अस्त होगा। सच कहा जाये, तो ज्योति बसु की सरकार के खिलाफ सड़क पर उत्तरने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस एक घटना ने ममता बनर्जी को रातोंरात राजनीति की अंगली पक्कि में लाकर खड़ा कर दिया। 13 सितंबर 2022 को भाजपा के बब्बन्हा मार्च के दौरान जो काफ़ हआ वह एक हृष्ट तक 1993 की

આજાદ સપાહી વરાષ |

आतंक यों छाड़ साथा ताजे पूरे खड़ हो गया है। लोकप्रिय न धड़ स्पार्टा वेद बदला हो, जो साथा के उत्तम और आतंक से जनता आजिज आं चुकी होती है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लोग इस सरकार के भ्रष्टाचार और आतंक के राज से तंग आ चुके हैं और यही बदलाव का पहला पुख्ता संकेत है। तो क्या सचमुच बंगाल की राजनीति बदल रही है और वहां अब बदलाव की हवा बहने लगी है, तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं आजाद सिपाही के तिशेष संगठन राकेश सिंह।



बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता और उनके करीबी लोग उसी दलदल में फंस गये, जिसमें वामपंथी फंसे थे। भ्रष्टाचार और आतंक के बल पर ममता के करीबियों ने बंगाल का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन लोगों को नहीं जीत सके। इसका परिणाम 13 सितंबर, 2022 को उस समय सामने आया, जब पूरे बंगाल से लाखों लोग भाजपा के आँदोलन पर हावड़ा में नबन्ना मार्च के लिए निकल पड़े। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद तण्मल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंसा का नंगा नाच शुरू कर दिया। अपने विरोधियों को चुन-चुन कर निशाना बनाने लगे। हालत यह हो गयी कि तृणमूल छोड़ कर जो कदावर नेता भाजपा में शामिल हुए थे, वे भी तृणमूल के प्रहर से अंदर से हिल गये और भयभीत होकर पुनः तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। मुकुल राय से लेकर अर्जुन सिंह जैसे कदावर नेता डर कर फिर तृणमूल में चले गये।

13 सितंबर 2022 के मार्च के दैरान हिंसा भड़क उठी। मार्च में शामिल लोगों के दिल से भय निकल चुका था। वे पुलिस के सामने तन कर खड़े हो गये। नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों से आग फूटकर लगी। अंततः पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हाथ में पत्थर उठा लिये। देखते ही देखते तीन चार क्षेत्र रण क्षेत्र के रूप में तब्दील हो गये। इसमें कई पुलिस अधिकारी और भाजपा नेता भी

यल हुए। संतरागाढ़ी, हावड़ा, लालकाता के लालबाजार और नजी रोड इलाकों में भी प्रशंसनकारी पुलिस से भिड़ गये। जपा ने यह मार्च ममता सरकार खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मलों को लेकर बुलाया था।

राजनीतिक प्रदर्शन का उद्देश्य है कुछ भी रहा हो, इसका जी चाहे कुछ भी हो, इसमें सभी लोगों की भागीदारी और गुरुसे देख कर यह तो स्पष्ट हो गया है। बंगाल के लोग अब दीदी के सुन से तंग आ चके हैं। सत्ता

प्रायोजित हिंसा से कराह रहे हैं। उनके भीतर जो आतंक और डर था, उससे वे बाहर निकल आये हैं। उन्हें अब पार्थ चटर्जी, अनुब्रत मंडल और तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेताओं के खिलाफ सङ्कप ग्रउ उत्तरने में डर नहीं लगता है। उन्हें अधिषेक बनर्जी जैसे नेताओं उनके परिवार के लोगों का भ्रष्टाचार अब मंजूर नहीं है। अपने लोगों के भ्रष्टाचार ने ही ममता बनर्जी को अंदर से कमज़ोर किया

पहले जिस तरह कांग्रेस से छीन कर वामपंथियों ने थामा था, फिर वामपंथियों से यह तृणमूल कांग्रेस के हाथों में गयी, उसी तरह अब बारी शायद भाजपा की है। लेकिन इसके लिए अभी भाजपा को बहुत लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन भाजपा के लिए सुकून देनेवाली बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार ही उन्हें आंदोलन के लिए ऊर्जा दे रहे हैं और इसमें उन्हें आम जनता का

है। भाजपा से राजनीतिक लड़ाई होती, तो ममता आसानी से उसे परास्त कर देतीं, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया है। पश्चिम बंगाल में खुब भ्रष्टाचार पनपा है, यह सिफे आम लोग ही नहीं कह रहे, बल्कि कलकत्ता हाइकोर्ट के कई फैसलों ने इस पर मुहर लगायी है कि वहां भ्रष्टाचार खुब फल-फूल रहा है। हाइकोर्ट के आदेश के बाद लगभग एक दर्जन मामलों में भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। इटी और सीबीआई के निशाने पर एक दर्जन से अधिक ममता बनर्जी के विश्वासपत्र नेता, विधायक और सांसद हैं। ममता बनर्जी के छह परिजनों की संपत्ति जांचने का आदेश हाइकोर्ट ने दिया है। इसी भ्रष्टाचार के कारण ममता बनर्जी के खिलाफ अब लोगों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया है। स्वाभाविक तौर पर लोगों का यह गुस्सा बंगाल की राजनीति में बदलाव का वाहक बनता रहा है और आगे भी बनेगा। और बदलाव की इस हवा को समर्थन मिलने लगा है। बंगाल की राजनीति का यह अध्याय ममता बनर्जी के माध्यम से उन तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी बन कर आया है, जो खुद को अपराजेय मानते हैं और समझते हैं कि आतंक के बल पर वे मनमानी करते रहेंगे। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का लोक जब अपने पर आता है, तो वह बड़ी से बड़ी ताकत को मटियामेट कर देता है। नबन्ना मार्च का यही संदेश है कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं। उन्हें अब इस बात का भी डर नहीं रहा कि सत्ताधारी पार्टी के तथाकथित गुंडे उनके साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए यह समय ममता बनर्जी के चेतने का है। बदलाव के संकेतों को वह जितनी जल्दी समझ लेंगी, उनके लिए उतनी ही सहूलियत होगी। नहीं तो पश्चिम बंगाल में व्याप्त भ्रष्टाचार उन्हें अपने आगोश में लेने को तैयार बैठा है।

